निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **324**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एल आई सी हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ उपासना टावर सी–98, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. गिरीश मित्तल फ्लैट नं॰ एफ–3, प्लाट नम्बर बी–72, दादू दयाल नगर, न्यू सांगानेर रोड, ब्लाक बी, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री आर॰ के॰ भांर्गव अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश **दिनांक** 31-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.09.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री गिरीश मित्तल के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ एफ–3, स्थित प्लाट नम्बर बी–72, दादू दयाल नगर, न्यू सांगानेर रोड, ब्लाक बी, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1050 वर्गफिट को बन्धक रख कर 30,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक नव ज्योति एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 18.07.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रो की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की

धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री गिरीश मित्तल के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ एफ–3, स्थित प्लाट नम्बर बी–72, दादू दयाल नगर, न्यू सांगानेर रोड, ब्लाक बी, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1050 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 31-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)